कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला–बालोद (छ.ग.)

पंजीयन क्रंमाक–145 / REG. / दुर्ग / दिनांक 01.04.2002

1) क्रिस्टलाईज्र नम्बर 4 में रखी स्क्रेपिन शुगर को क्रिस्टलाईज्र गटर के माध्यम से खाली करना, क्रिस्टलाईज्र की साफ–सफाई करना।

2) स्क्रेपिंग शुगर जो कि बोरो में भरकर हापर नम्बर 3 के पीछे रखी है को क्रिस्टलाईज्र में गलाना बताये गऐ निर्देशानुसार। सीजन समाप्ति के दौरान कान्टी मशीनों से निकली ब्राउन शुगर को बोरों में भरना–तौलना सिलाई करना एवं गोदाम में रखना।

3) बायलिंग हाउस, सेन्ट्रीफ्यूगल हाउस एवं ड्रायर हाउस के यंत्र–सयंत्र में चीनी की सफाई एवं बोरों में भरकर रखाना एवं गीली चीनी को किस्टलाईज्र में रखाने का कार्य।

4) जूस हीटर के ट्यूबों की सफाई का कार्य।

5) क्वाड एवं सेमीकेशनर ट्युब क्लीनिंग का कार्य।

वर्ष 2020–21

तकनीकी भाग– 01 व 02

ई–निविदा क्रं.68147, दिनांक 20 / 10 / 2020

प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर
कारखाना मर्यादित–बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

निविदा शुल्क– 1000 / –रू.

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

ई–निविदा प्रपत्र

निविदा क्रंमाक/68147/2020–21 दिनांक 20/10/2020

कारखाने के पेराई सत्र 2020–21 हेतु निम्नलिखित कार्य कराने के लिए ई– निविदा आमंत्रित की जाती है:–

1	क्रिस्टलाईज्र नम्बर 4 में रखी स्केपिन शुगर को क्रिस्टलाईज्र गटर के माध्यम से खाली करना, क्रिस्टलाईज्र की साफ–सफाई करना। दर प्रति क्रिस्टलाईज्र।
2	सीजन के दौरान निकली स्केपिंग शुगर जो कि बोरो में भरकर हापर नम्बर 3 के पीछे रखी है को क्रिस्टलाईज्र में गलाना बताये गऐ निर्देशानुसार। सीजन समाप्ति के दौरान कान्टी मशीनों से निकली ब्राउन शुगर को बोरों में भरना–तौलना सिलाई करना एवं गोदाम में रखना।
3	गन्ना पेराई समाप्ति के बाद बायलिंग हाउस, सेन्ट्रीफ्यूगल हाउस एवं ड्रायर हाउस के यंत्र–सयंत्र में चीनी रह जाती है जिसकों खुरचकर सफाई की जाती है एवं बोरों में भरकर रखा जाता है। गीली चीनी को क्रिस्टलाईज्र में रखा जाता है उसके बाद सम्पुर्ण बायलिंग हाउस, सेन्ट्रीफ्यूगल हाउस एव ड्रायर हाउस की धुलाई एवं सफाई कार्य करना।
4	सीजन के दौरान जूस हीटर के ट्यूबों की सफाई कार्य किया जाता है।
5	सामान्य सफाई के दौरान निम्न कार्य कराया जाता है जिसका विवरण निम्नवत है :– 1. सेमीकेस्टनर ट्यूबों की संख्या 1316 लम्बाई 4500 एम.एम. (दर प्रति सेमीकेस्टनर) 2. क्वार्ड प्रथम बॉडी ट्यूबों की संख्या 3324 लम्बाई 2000 एम.एम. (दर प्रति बॉडी)। 3. क्वार्ड द्वितीय बॉडी ट्यूबों की संख्या 1504 लम्बाई 2000एम.एम. (दर प्रति बॉडी)। 4. क्वार्ड तृतीय बॉडी ट्यूबों की संख्या 940 लम्बाई 2000एम.एम. (दर प्रति बॉडी।) 5. पैन की ट्यूबो की सफाई पैनों की कुल संख्या 4 एवं ट्युबो की संख्या प्रति पैन लगभग 1100 एवं लम्बाई 759 एम.एम. (दर प्रति बॉडी।) **टिप्पणी**:– उपरोक्त कार्य सामान्य सफाई के दौरान 40 घंटे में करना होगा।

पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम : श्री/मेसर्स ....

1. पता : ....

....

2. ई–निविदा हेतु इच्छुक फर्मो /निविदाकार द्वारा भाग लेने के लिए ई–टेण्डर के वेबसाईट में जाकर ई–निविदा हेतु फार्म राशि 1311/– रू. (1000/–रू. + 311/–रू. चिप्स के द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय ऑनलाईन वेबसाईट (E-Procurement Portal: http://eproc.cgstate.gov.in) से फार्म Upload किया जाना है।

3. ई–निविदा फार्म दिनांक **01/09/2020 से 20/10/2020** को संपूर्ण वांछित एवं सत्यापित दस्तावेजों के साथ दोपहर 12:00 बजे तक शासकीय ऑनलाईन वेबसाईट (E-Procurement Portal: http://eproc.cgstate.gov.in) **मे अपलोड कर सकते है।**
4. ई–निविदा निदांक **20/10/2020 को दोहर 3:30 बजे** पश्चात् क्रिय समिति/निविदाकारों के समक्ष खोला जाएगा जिसमें निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
5. ई.एम.डी. राशि – निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में ई.एम.डी. हेतु राशि रूपये 20,000/–(बीस हजार रूपये मात्र) कारखाने के खाते में RTGS के माध्यम से खाता क्रंमाक **31360100006799**, IFSC Code- **BARB0BALODX** बैक ऑफ बडौदा बालोद में **दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद** के नाम से जमा करना होगा। RTGS/NEFT के माध्यम से ही ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा, ई.एम.डी. की राशि कारखाने के खाते में जमा नही होने पर आपकी निविदा निरस्त मानी जाएगी।

प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित–बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला–बालोद (छ.ग.)

ई–निविदा प्रपत्र

Main Portal: http://eproc.cgstate.gov.in

निविदा क्रंमाक / 68147 / 2020–21 दिनांक 20 / 10 / 2020

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित– बालोद के पेराई सत्र 2020–21 हेतु निम्नलिखित कार्य कराने के लिए ई– निविदा आमंत्रित की जाती है:–

1	किस्टलाईज्र नम्बर 4 में रखी स्केपिन शुगर को किस्टलाईज्र गटर के माध्यम से खाली करना, किस्टलाईज्र की साफ–सफाई करना। दर प्रति किस्टलाईज्र।
2	सीजन के दौरान निकली स्केपिंग शुगर जो कि बोरो में भरकर हापर नम्बर 3 के पीछे रखी है को किस्टलाईज्र में गलाना बताये गऐ निर्देशानुसार। सीजन समाप्ति के दौरान कान्टी मशीनों से निकली ब्राउन शुगर को बोरों में भरना–तौलना सिलाई करना एवं गोदाम में रखना।
3	गन्ना पेराई समाप्ति के बाद बायलिंग हाउस, सेन्ट्रीफ्यूगल हाउस एवं ड्रायर हाउस के यंत्र–सयंत्र में चीनी रह जाती है जिसकों खुरचकर सफाई की जाती है एवं बोरों में भरकर रखा जाता है। गीली चीनी को किस्टलाईज्र में रखा जाता है उसके बाद सम्पुर्ण बायलिंग हाउस, सेन्ट्रीफ्यूगल हाउस एव ड्रायर हाउस की धुलाई एवं सफाई कार्य करना।
4	सीजन के दौरान जूस हीटर के ट्यूबों की सफाई कार्य किया जाता है।
5	सामान्य सफाई के दौरान निम्न कार्य कराया जाता है जिसका विवरण निम्नवत है :– 1. सेमीकेस्टनर ट्यूबों की संख्या 1316 लम्बाई 4500 एम.एम. (दर प्रति सेमीकेस्टनर) 2. क्वार्ड प्रथम बॉडी ट्यूबों की संख्या 3324 लम्बाई 2000 एम.एम. (दर प्रति बॉडी)। 3. क्वार्ड द्वितीय बॉडी ट्यूबों की संख्या 1504 लम्बाई 2000एम.एम. (दर प्रति बॉडी)। 4. क्वार्ड तृतीय बॉडी ट्यूबों की संख्या 940 लम्बाई 2000एम.एम. (दर प्रति बॉडी।) 5. पैन की ट्यूबो की सफाई पैनों की कुल संख्या 4 एवं ट्युबो की संख्या प्रति पैन लगभग 1100 एवं लम्बाई 759 एम.एम. (दर प्रति बॉडी।) **टिप्पणी**:– उपरोक्त कार्य सामान्य सफाई के दौरान 40 घंटे में करना होगा।

ई–निविदा हेतु कार्य करने के इच्छुक निविदाकार / फर्म निविदा में भाग लेने के लिए http://eproc.cgstate.gov.in/ पर

निविदाओं की अन्य सभी शर्त और योग्यता के लिए मानदंड आदि को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट किया गया है।

1. ठेकेदार / फार्म (V) प्राप्त व्यक्ति फर्म का नाम ....

2. पता ....

....

		....
3.	मोबाइल नंबर	....
4.	ई–मेल आई.डी.	....
5.	जी.एस.टी. नंबर (छायाप्रति अपलोड करें)	....
6.	फर्म का पैनकार्ड नंबर (छायाप्रति अपलोड करें)	....
7.	ठेकेदार को कारखाने द्वारा V-फार्म की छायाप्रति अपलोड करें (अनिवार्य नहीं है)	....
8.	बैंक का नाम	....
9.	खाता क्रंमाक	....
10.	ई.एम.डी. जमा राशि	.... शब्दों में ....
11.	आरटीजीएस नंबर एवं बैक	....
12.	कारखाने के किस खाते मे जमा	....

फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

अनुबंध की नियम एवं शर्तें–

1. निविदा प्रपत्र तीन लिफाफा में जमा करना अनिवार्य है। ई.एम.डी. संबंधी बिड – एक, तकीनीकी बिड– दो एवं व्यावसायिक बिड– तीन ।
2. निविदाकार को तकनीकी बिड– दो के साथ जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन नंबर की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. ई–निविदा तकनीकी बिड–2 में निविदा के शर्त अनुसार मांगे गये सभी डाक्यूमेन्ट को अपलोड किया जाना होगा एवं व्यावसायिक बिड–3 में दिये गये स्थान पर सिर्फ दर प्रस्तुत किया जाना होगा।
4. कारखाने से संबंधित कार्य का दर जी.एस.टी रहित दिया जाना होगा एवं देयक भुगतान हेतु जी.एस.टी. देयक दिया जाना अनिवार्य होगा एवं जी.एस.टी. समय पर भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे कारखाना द्वारा जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया जा सके जी.एस.टी. का क्रेडिट नही मिलने पर ई.एम.डी. अथवा अन्य देयक राशि से कटौती की जावेगी।
5. जी.एस.टी. के अतिरिक्त अन्य कर का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
6. नियमानुसार टेक्स आदि की कटौती की जावेगी।
7. ट्युब क्लिनिंग कार्य में लगने वाली आवश्यक सामग्री (केमिक्ल कटर ब्रश)कारखाने द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।
8. उक्त कार्य में लगे मजदूरों की लिस्ट शिपट वार प्रत्येक दिन टाईम ऑफिस में संबंधित अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा।
9. कारखाना में कार्यरत मजदूरों का श्रम विभाग के नियमानुसार बीमा होना अनिवार्य है, यदि किसी दुर्घटना में मजदूर को कोई क्षति होती है तो ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगें, कारखाना प्रबंधन इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
10. श्रमिकों की सुरक्षा उपकरण, परिचय पत्र (आई. कार्ड), यूनिफार्म/ड्रेस इत्यादि प्रदाय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
11. किसी भी प्रकार का वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही सुनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।
12. प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शर्त को विलोपित करने मात्रा घटाने बढ़ाने, निविदा निरस्त करने एवं कार्यादेश निरस्त करने संबंधि पूर्ण अधिकार होगा।

13. ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में प्रबंधन द्वारा बिना पूर्व सूचना के ठेकेदार का कार्य आदेश निरस्त कर ई.एम.डी. राशि जब्त कर ली जावेगी।
14. कारखाना परिसर में धुम्रपान वर्जित होगा।
15. नशे की हालत में किसी भी श्रमिक का कारखाने में प्रवेश वर्जित रहेगा, यदि किसी भी श्रमिक को नशे की हालत में पाया जाता है तो श्रमिक को कार्य से बाहर कर दिया जावेगा तथा ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
16. कार्य आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर प्रबंधन के साथ अनुबंध करना अनिवार्य होगा, अनुबंध नहीं करने की दशा में देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा।
17. कारखाना प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
18. श्रमिक ठेकेदारों द्वारा किसी भी श्रमिक सुपरवाईजर नियोजित नहीं किये जावेगें। आवश्यकतानुसर मात्र श्रमिक नियोजित किए जावेगें।
19. श्रमिकों को अपने शिफ्ट कार्यरत मेन्युफेक्चरिंग केमिस्ट/चीफ केमिस्ट/चीफ इंजिनियर के निर्देशन में कार्य करना अनिवार्य होगा।
20. श्रमिकों को अपने शिफ्ट में आने वाले श्रमिकों के उपस्थित होने तक कार्य करना अनिवार्य होगा।
21. यदि किसी कारण वश फैक्ट्री बंद रहते है तो इसके द्वारा सप्लाई आदमी का कार्य मेन्युफेक्चरिंग केमिस्ट द्वारा कहीं भी फैक्ट्री में उपयोग किया जा सकता है।
22. यदि आवश्यकता पड़ने पर कास्टीक बायलिंग संबंधित केमिकल/अन्य सामग्री चढ़ाने का कार्य करना अनिवार्य होगा।
23. पक्षकार क्रमांक 02 श्रमिक ठेकेदार को संविदा श्रमिक (नियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 की धारा 12 के तहत श्रमिक नियोजित हेतु वैध अनुज्ञप्ति धारी होना अनिवार्य होगा। या कार्य प्राप्त होने पर 15 दिनों में अनुज्ञप्ति (पंजीयन) प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगें।
24. द्वितीय पक्षकार प्रचलित श्रम नियमों कानूनों तथा कारखाना में ठेका श्रमिकों की सेंवाएं प्रदान करने संबंधित समस्त नियमों एवं कानूनों और इस संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों के साथ ही कारखाना प्रबंधन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगा।
25. द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध के 15 दिवस के भीतर श्रमिक पंजीयक (लाईसेंस) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
26. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिक कारखाना के अधिकारियों के निर्देशन में ही कार्य संपन्न करेंगें। ठेका श्रमिकों द्वारा आदेशों के अवहेलना करने/कारखाना को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाने या अवांछनीय गतिविधियों तथा हड़ताल विरोध प्रदर्शन तालाबंदी, कामबंदी इत्यादि में संलिप्त रहने अथवा कार्य में गुणवत्ता का अभाव पाये जाने की स्थिति में

प्रबंधन के निर्देश पर ऐसे ठेका श्रमिकों को तत्काल कार्य से पृथक करना होगा। तथा कारखानें के द्वारा मांग किये जाने पर उसके स्थान पर नया ठेका श्रमिक उपलब्ध कराना होगा।

27. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई भी ठेका श्रमिक कारखाने द्वारा नियोजित कर्मचारी/ठेका श्रमिक नहीं कहलायेगा। ठेका श्रमिक का नियोक्ता संबंधित श्रमिक ठेकेदार ही रहेगा।

28. श्रमिक ठेकेदार यदि किसी ठेका श्रमिक को कार्य से पृथक करता है तो उसको जारी परिचय पत्र अनिवार्य रूप से निरस्त कर पक्षकार कमांक 01 को लिखित रूप से सूचित करने की जिम्मेदारी पक्षकार क्रमांक 02 की रहेगी।

29. प्रत्येक सीजन की समाप्ति अथवा अनुबंध समाप्ति होने पर संबंधित ठेका श्रमिकों से परिचय पत्र की वापस लेने की जिम्मेदारी पक्ष कमांक 02 की रहेगा। ताकि उक्त परिचय पत्र का किसी प्रकार का दुरूपयोग ना हो पाये।

30. परिचय पत्र का प्रारूप निम्नानुसार रहेगा :–

परिचय पत्र

PHOTO

1. नाम/पिता या पति का नाम..

....

2. स्थानीय पता..
3. पद/मजदूरी दर...
4. बैंक का नाम व खाता नंबर...
5. ठेकेदार/फर्म का नाम एवं पता..
6. प्रमुख नियोक्ता का नाम एवं पता...

निर्देशः–

1 जिस व्यक्ति को यह परिचय पत्र जारी किया गय है वह इसकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
2 यह परिचय पत्र स्थानांतरण होने/सेवामुक्त/कार्य से पृथक होने पर वापस किया जायेगा।
3 परिचय पत्र की खो जाने ठेकेदार अथवा प्राधिकृत अधिकारी को इसकी सूचना दी जावें।
4 पुनः कार्ड बनवाने पर निर्धारित शुल्क देय होगा।

5 यह परिचय पत्र अहस्तांतणीय है।

31. पक्षकार कमांक 02 की यह जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त ठेका श्रमिक कार्य के दौरान अनिवार्य रूप से फोटोयुक्त परिचय पत्र गले में अथवा जेब के उपर दृष्टिगोचार स्थान पर अनिवार्य रूप से लगावें।
32. यदि कोई ठेका श्रमिक कार्य छोड़ देता है अथवा संबंधित ठेकेदार उसे कार्य से पृथक कर देता हैं उस स्थिति में उन ठेका श्रमिकों को व्यक्तिगत ईपीएफ खाते में जमा राशि को संबंधित ईपीएफ कार्यालय से भुगतान दिलाने की जिम्मेदारी संबंधित श्रमिक ठेकेदार पक्षकार क्र. 02 की ही होगी।
33. पक्षकार क्र. 02 के द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिकों को कारखानें द्वारा निर्धारित मान से पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित ठेकेदार को ही किया जावेगा। संबंधित ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने श्रमिकों को तीन दिवस के भीतर उनके बैंक खातों के माध्यम से कारखाना से प्राप्त पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रूप से करें। पारिश्रमिक भुगतान में चूक करने पर संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध पक्षकार क्र. 01 के द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी एवं भुगतान व कर जमा की चालान प्रति जमा करना होगा।
34. यदि किसी कारण से द्वितीय पक्षकार कारखाना को ठेका श्रमिक उपलब्ध कराने में अस्मर्थ रहता है तो एक माह पूर्व प्रथम पक्षकार को लिखित सूचना करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अमानत राशि जब्त करने के अलावा कारखानें को होने वाले क्षति के भरपाई के लिए दावा भी किया जा सकेगा।
35. उभय पक्षों के बीच हुऐ अनुबंध की शर्तों को समस्त ठेका श्रमिकों को अवगत कराना द्वितीय पक्षकार का उत्तर दायित्व होगा।
36. यह अनुबंध पेराई सत्र 2020–21 की समाप्ति तक ही मान्य होगा। किन्तु कारखाना प्रबंधन कार्य की आवश्यकता आधार पर किसी भी समय अनुबंध समाप्त कर सकेगा।
37. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराया गया ठेका श्रमिकों के संबंध में जानकारी तथा ठेका श्रमिक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, कार्यानुभव, वर्तमान पत्र व्यवहार का पता, पूर्ण स्थाई पता, बैंक खाता कमांक, बैंक का नाम, ब्लड ग्रुप, ठेका श्रमिक के व्यक्तिगत ईपीएफ खाता नं. की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर किसी ठेका श्रमिक के संबंध में चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र, संबंधित विभाग, संबंधित थाने से प्राप्तकर प्रथम पक्षकार के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्षकार की रहेगी।
38. द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिक शाररिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य हो। तथा श्रम नियमो के अनुसार बाल श्रमिक ना हो।
39. श्रम पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों का पालन करना एवं श्रम विधि के अनुकूल वांछित दस्तावेज खाखा संधारण करना तथा आवश्यकता अनुसार सक्षम अधिकारियों से उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण कराने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्षकार की होगी।

40. पक्षकार क.02 केद्वारा उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त/शर्तों का उल्लंघन होने पर कार्य समाप्त कर श्रमिक ठेकादार को काली सूची में दर्ज किया जाकर कार्य से पृथक किया जायेगा। तथा उनके ठेका श्रमिकों को आवश्यकतानुसार अन्य पंजीकृत श्रमिक ठेकादार के माध्यम से कार्य पद लिया जावेगा।

अनुबंध प्रारूप

हम प्रथम एवं द्वितीय पक्ष उपर दर्शाये गये शर्तों को पढ़कर एवं समझकर अनुबंध पत्र आज दिनांक...को स्थान..में निष्पादित करते है।

प्रथम पक्षकार	द्वितीय पक्षकार
दं.मै.स.श.का.मर्या.बालोद	श्रमिक ठेकेदार/ठेकेदार फर्म का नाम
हस्ताक्षर..	हस्ताक्षर..
नाम/पदनाम..	नाम/पदनाम...
....	....
पूर्ण पता..	पूर्ण पता..
....	....
....	....
....	....
गवाह– 01	
नाम..	
हस्ताक्षर..	
गवाह–02	
नाम..	
हस्ताक्षर..	

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं .... फर्म ....प्रतिनिधि का नाम ....पिता का नाम ....पता .... का निवासी हूँ मैं शपथ पूर्वक कथन करना हूँ कि

1. मेरे द्वारा कोड दिया गया दर न्यूनतम है एवं इससे कम दर पर कार्य नही करूंगा।
2. मेरे द्वारा कोड कि गई सामग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है।
3. मुझे पूर्व कार्यादेशों की सामाग्री/कार्य सही समय में एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण की गई है।
4. मैनें निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नही किया है और नही कोई अनुचित लाभ प्राप्त हो।
5. मैंने अपना दर प्रस्तुत किया है ई.एम.डी. राशि रूपये कारखाना के खाता क्रंमाक .... में राशि रूपये .... दिनांक ....को संस्था के पक्ष में जमा किया है यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा कार्य में विलम्ब किया जाता है या सही गुणवत्ता का नही पाया जाता है तो समस्त ई.एम.डी. राशि संस्था के पक्ष में जप्त करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित–बालोद

ई–प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

Main Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

व्यावसायीक भाग–3

ठेका कार्य हेतु प्रस्तावित दर प्रस्तुत करने बाबत्। निविदा क्रं. 68147, दिनांक 20/10/2020

क्र.	कार्य का विवरण	इकाई प्रति	कार्य करने के लिए इच्छुक प्रस्तावित दर (कर रहित)
1	किस्टलाईज्र नम्बर 4 में रखी स्केपिन शुगर को किस्टलाईज्र गटर के माध्यम से खाली करना, किस्टलाईज्र की साफ–सफाई करना। दर प्रति किस्टलाईज्र।	नग	
2	सीजन के दौरान निकली स्केपिंग शुगर जो कि बोरो में भरकर हापर नम्बर 3 के पीछे रखी है को किस्टलाईज्र में गलाना बताये गऐ निर्देशानुसार। सीजन समाप्ति के दौरान कान्टी मशीनों से निकली ब्राउन शुगर को बोरों में भरना–तौलना सिलाई करना एवं गोदाम में रखना। प्रति बोर 50 कि.ग्रा.	क्विटल	
3	गन्ना पेराई समाप्ति के बाद बायलिंग हाउस, सेन्ट्रीफ्यूगल हाउस एवं ड्रायर हाउस के यंत्र–सयंत्र में चीनी रह जाती है जिसकों खुरचकर सफाई की जाती है एवं बोरों में भरकर रखा जाता है। गीली चीनी को किस्टलाईज्र में रखा जाता है उसके बाद सम्पुर्ण बायलिंग हाउस, सेन्ट्रीफ्यूगल हाउस एव ड्रायर हाउस की धुलाई एवं सफाई कार्य करना।प्रति बोर 50 कि.ग्रा.	क्विटल	
4	सीजन के दौरान जूस हीटर के ट्यूबों की सफाई कार्य किया जाता है। प्रति जूस हिटर दर	नग	
5	सामान्य सफाई के दौरान निम्न कार्य कराया जाता है जिसका विवरण निम्म्नवत है :–		
	1. सेमीकेस्टनर ट्यूबों की संख्या 1316 लम्बाई 4500 एम.एम. (दर प्रति सेमीकेस्टनर)	नग	
	2. क्वार्ड प्रथम बॉडी ट्यूबों की संख्या 3324 लम्बाई 2000 एम.एम. (दर प्रति बॉडी)।	नग	
	3. क्वार्ड द्वितीय बॉडी ट्यूबों की संख्या 1504 लम्बाई 2000एम.एम. (दर प्रति बॉडी)।	नग	
	4. क्वार्ड तृतीय बॉडी ट्यूबों की संख्या 940 लम्बाई 2000एम.एम. (दर प्रति बॉडी।)	नग	

5. पैन की ट्यूबो की सफाई पैनों की कुल संख्या 4 एवं ट्युबो की संख्या प्रति पैन लगभग 1100 एवं लम्बाई 759 एम.एम. (दर प्रति बॉडी।)	नग	

टिप्पणीः– उपरोक्त कार्य सामान्य सफाई के दौरान 40 घंटे में करना होगा।